झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

क्रिमिनल एम0पी0 संख्या–25 वर्ष 2019
के साथ
आई0 ए0 संख्या.2706 वर्ष 2019

सरफा टुडू, उम्र लगभग 28 वर्ष, पुत्री–स्वर्गीय लखन टुडू, निवासी ग्राम–रोलाडीह, तोलकापार्सई, डाकघर–रोशन चोपा, थाना–कोपाली, पोटका, जिला–पूर्वी सिंहभूम

.... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य
2. जोबा टुडू, पत्नी–बस्ता टुडू, पुत्री–सुखलाल मंडी, वर्तमान निवासी–बरिया गाजर, डाकघर–बरदीकनपुर, थाना–चकुलिया, जिला–पूर्वी सिंहभूम, झारखण्ड

.... विपक्षीगण

कोरम : **<u>माननीय न्यायमूर्ति श्री अमिताभ के0 गुप्ता</u>**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री डी0के0 दुबे, अधिवक्ता।

राज्य के लिए :– ए0पी0पी0।

विपक्षी पक्ष सं0 2 के लिए :– श्री आशुतोष मिश्रा, अधिवक्ता।

<u>02/15.03.2019</u> पक्षों के बीच हुए समझौते के मद्देनजर उपरोक्त अंतरवर्ती आवेदन को न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, घाटशिला की अदालत में लंबित चकुलिया थाना काण्ड सं0 31/2018 (जी0आर0 सं0 202/2018) से उद्भूत सम्पूर्ण आपराधिक कार्यवाही को अभिखण्डन करने के लिए दायर किया गया है।

2. याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि इस आवेदन के अनुबंध–1 और 2 से यह स्पष्ट होगा कि दोनों पक्षों ने अपने वैवाहिक विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है और ओ0पी0 नं0 2/पत्नी के ससुराल वाले उसे उसके ससुराल ले गए और वह अपने पति के साथ खुशहाल वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं और वे एक साथ रह रहे हैं।

3. ओ0पी0 नं0 2 की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त तथ्य का विरोध नहीं किया है और निवेदन किया है कि वैवाहिक विवाद को दोस्तों और शुभचिंतकों के हस्तक्षेप पर सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया था। यह निवेदन किया गया है कि ओ0पी0 नं0 2 मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं।

4. सुना है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पक्षों ने इस मामले को सुलझा लिया है और ओ0पी0 नं0 2/पत्नी एक खुशहाल वैवाहिक जीवन जी रही है, इसलिए, कार्यवाही को जारी रखना केवल समय की बर्बादी और अदालत की प्रक्रिया का दुरूप्योग होगी। इस प्रकार, न्याय के हित के लिए, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, घाटशिला के अदालत में लंबित चकुलिया थाना काण्ड संख्या–31/2018 (जी0आर0 सं0 202/2018) से उत्पन्न आपराधिक कार्यवाही को एतद्द्वारा अभिखंडित किया जाता है।

5. आई0ए0 संख्या–2706/2019 को निपटाया जाता है और याचिका को अनुज्ञात किया जाता है।

(अमिताभ के0 गुप्ता, न्याया0)